



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

पंजीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

अनुसूची I - फॉर्म जे
(विनियम 10 देखें)
Schedule I - Form J
(See Regulation 10)

पंजीकरण संख्या

Registration No.....

756

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा प्रोस्ट इंश्योरेंस ब्रीकर्स प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन पब्लिक (जीवन एवं साधारण) दलाल (श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें) के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to Prost Insurance Brokers private limited

to act as Direct (Life & General) (Mention details of Category) broker under that Act.

2. उक्त बीमा दलाल के लिए पंजीकरण कूट है..... IRDA/DB846/20

Registration Code for the insurance broker is IRDA/DB846/20

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 22.07.2021 से 21.07.2024 तक वैध होगा।

This certificate of registration shall be valid from 22.07.2021 to 21.07.2024

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।

This certificate of registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थान Place : हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक Date : 22.07.2021

आदेशानुसार
By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India